

अध्याय 02: उद्देशिका (Preamble) एवं नागरिकता (Citizenship) — शॉर्ट नोट्स

1. उद्देशिका — परिचय, ऐतिहासिक आधार एवं विद्वानों के मत

प्रख्यात न्यायविद् / विद्वान	उद्देशिका के संबंध में आधिकारिक मत / प्रसिद्ध कथन
एन.ए. पालकीवाला (N.A. Palkhivala)	उद्देशिका — 'संविधान का पहचान-पत्र (Identity Card of the Constitution)'
पं. ठाकुर दास भार्गव	संविधान का सबसे अनमोल अंग, संविधान की आत्मा, कुंजी, आभूषण व उचित पैमाना (Soul, Key, Jewel, Yardstick)
डॉ. के.एम. मुंशी (K.M. Munshi)	हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की 'जन्म-पत्री (Horoscope)'
सर अर्नेस्ट बार्कर (Sir Ernest Barker)	संविधान का 'मूल-सुर (Key-note to the Constitution)' — अपनी पुस्तक में उद्धृत किया
न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह	हमारे संविधान की आत्मा — शाश्वत व अपरिवर्तनीय, जिसे केवल क्रांति ही बदल सकती है

ऐतिहासिक आयाम	संवैधानिक पृष्ठभूमि एवं वैश्विक परंपरा
वैश्विक परंपरा	अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम संविधान जिसने प्रस्तावना से शुरुआत की
उद्देश्य प्रस्ताव (1946)	13 दिसम्बर 1946 को पं. नेहरू द्वारा प्रस्तुत; 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकृत
शाब्दिक अर्थ व सार	संविधान का परिचय या भूमिका (Introduction / Preface), जिसमें संपूर्ण संविधान का सार समाहित

2. उद्देशिका का मूल पाठ, 4 घटक एवं 42वाँ संशोधन

उद्देशिका के 4 घटक	संवैधानिक प्रावधान एवं अंतर्निहित मूल तत्व
1. प्राधिकार का स्रोत (Source)	संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है — ('We, The People of India')
2. भारतीय राज्य की प्रकृति (Nature)	संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य
3. संविधान के उद्देश्य (Objectives)	समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व सुनिश्चित कराना
4. अंगीकृत करने की तिथि (Date)	26 नवम्बर 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी) को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित

42वाँ संशोधन 1976: उद्देशिका में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ — तीन नए शब्द जोड़े गए: 'समाजवादी (Socialist)', 'पंथनिरपेक्ष (Secular)' एवं 'अखंडता (Integrity)' (सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश)।

3. प्रमुख दार्शनिक शब्द (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष)

संप्रभुता का आयाम	संवैधानिक स्थिति एवं विधिक प्रभाव
आंतरिक व बाह्य संप्रभुता	भारत किसी विदेशी शक्ति पर निर्भर या डोमिनियन नहीं; अपने मामलों में पूर्ण स्वतंत्र (26 जनवरी 1950 संप्रभु गणराज्य)
राष्ट्रमंडल (1949)	ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल का प्रमुख मानना संविधानेतर घोषणा; संप्रभुता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं
संयुक्त राष्ट्र (UN 1945)	सदस्यता से संप्रभुता अक्षुण्ण; भारत विदेशी क्षेत्र अर्जित करने अथवा अपना क्षेत्र अन्य को सौंपने में सक्षम

समाजवाद का स्वरूप	सैद्धांतिक लक्षण	संवैधानिक स्थिति एवं भारतीय मॉडल
लोकतांत्रिक समाजवाद	मिश्रित अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक + निजी)	माक्सवाद व गांधीवाद का समन्वय (गांधीवादी झुकाव); अवाड़ी अधिवेशन (1955) 'समाजवादी ढांचा'
साम्यवादी समाजवाद	पूर्ण राष्ट्रीयकरण व निजी संपत्ति उन्मूलन	सोवियत मॉडल (USSR) — भारत ने इसे पूर्णतः अस्वीकार किया
डी.एस. नकारा वाद (1982)	कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य	गरीबी, अज्ञानता व बीमारी निवारण; (NEP 1991) बाद भी (DPSP) में कल्याणकारी भावना जीवंत

राज्य का स्वरूप	सैद्धांतिक लक्षण	वैश्विक व भारतीय उदाहरण
नास्तिक राज्य (Atheist)	धर्म-विरोधी, सभी धर्मों की निंदा व दमन	ऐतिहासिक साम्यवादी शासन व्यवस्थाएँ
धर्मशासित राज्य (Theocratic)	एक धर्म विशेष को आधिकारिक राजधर्म का दर्जा	पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार
पंथनिरपेक्ष राज्य (Secular)	सकारात्मक पंथनिरपेक्षता; सर्वधर्म समभाव	भारत (अनु. 25–28), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA); एस.आर. बोम्मई केस (1994) में मूल संरचना

4. प्रमुख दार्शनिक शब्द (लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व)

शासन प्रणाली	प्रमुख स्वरूप	संवैधानिक व्यवस्था एवं विशेषताएं
प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct)	जनता सीधे शक्ति का प्रयोग करती है	4 उपकरण: जनमत संग्रह (Referendum), उपक्रम (Initiative), प्रत्याह्वान (Recall), जनमत संग्रह (Plebiscite); स्विट्जरलैंड
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect)	प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र	वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका व विधि के शासन द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन (भारत)
राजतंत्र (Monarchy)	वंशानुगत राज्य-प्रमुख	उत्तराधिकार से पद प्राप्त; राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता (ब्रिटेन)
गणराज्य (Republic)	निर्वाचित राज्य-प्रमुख	राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचित (5 वर्ष हेतु); राजनीतिक संप्रभुता जनता में; कोई विशेषाधिकृत वर्ग नहीं

लोकतांत्रिक आदर्श	दार्शनिक संकल्पना	संवैधानिक अंतर्संबंध एवं उद्घोषणा
सामाजिक लोकतंत्र	राजनीतिक लोकतंत्र का आधार	अंबेडकर (25 नवम्बर 1949): राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिकेगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र न हो
त्रिमूर्ति सिद्धांत (Trinity)	स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व	ये तीनों एक अविभाज्य त्रिमूर्ति हैं; एक के बिना दूसरा एकांगी व निरर्थक हो जाता है
व्यक्ति की गरिमा (Dignity)	भौतिक व आध्यात्मिक विकास	के.एम. मुंशी: संविधान प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पवित्र व अमूल्य मानता है

मूल आदर्श	विस्तार / प्रकार	संवैधानिक प्रावधान एवं ऐतिहासिक स्रोत
न्याय (Justice)	सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक (3 प्रकार)	रूसी क्रांति (1917) से प्रेरित; अनु. 14–18, अनु. 39 (DPSP), अनु. 325–326
स्वतंत्रता (Liberty)	विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना (5 प्रकार)	फ्रांसीसी क्रांति (1789) से प्रेरित; अनु. 19 व 25 (मर्यादित/Qualified, लाइसेंस नहीं)
समता (Equality)	प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता (3 आयाम)	नागरिक (अनु. 14–18), राजनीतिक (अनु. 325–326), आर्थिक (अनु. 39 समान कार्य हेतु समान वेतन)
बंधुत्व (Fraternity)	व्यक्ति की गरिमा + राष्ट्र की एकता व अखंडता	एकल नागरिकता एवं अनुच्छेद 51-A (मूल कर्तव्य); 'अखंडता' 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया

5. उद्देशिका की न्यायिक स्थिति, संशोधनीयता एवं मूल संरचना

न्यायिक वाद (Case)	वर्ष	सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
बेरुबाड़ी संघ मामला (Berubari Union)	1960	उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है (अनु. 143 संदर्भ)
केशवानंद भारती केस (13 जज पीठ)	1973	बेरुबाड़ी निर्णय निरस्त; उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग (Integral Part) है; अनु. 368 से संशोधनीय
मिनर्वा मिल्स केस (Minerva Mills)	1980	संसद की सीमित संशोधन शक्ति स्वयं संविधान के मूलभूत ढांचे का भाग है
एलआईसी ऑफ इंडिया (LIC of India)	1995	पुनः पुष्टि: उद्देशिका संविधान का अभिन्न व अविभाज्य भाग है

संवैधानिक प्रश्न / विधिक आयाम	सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति एवं विधिक प्रावधान
क्या उद्देशिका संविधान का भाग है?	हाँ — संविधान का अभिन्न अंग है (केशवानंद भारती 1973 द्वारा मान्य; बेरुबाड़ी 1960 का मत निरस्त)
क्या अनु. 368 से संशोधन संभव है?	हाँ — संसद संशोधन कर सकती है, किंतु इसकी मूल संरचना (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती
न्यायिक प्रवर्तनीयता (Enforceability)	गैर-न्याययोग्य (Non-justiciable) — न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं, विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं
संवैधानिक व्याख्या में उपयोग	जहाँ अनुच्छेदों की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट हो, वहाँ व्याख्या में पंथ-प्रदर्शक के रूप में प्रयुक्त

मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): केशवानंद भारती (1973) अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत उद्देशिका में संशोधन कर सकती है, किंतु इसकी 'मूल संरचना' (लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्याय, न्यायिक समीक्षा) को नष्ट नहीं कर सकती।

6. नागरिकता (Citizenship) — अर्थ, विदेशी वर्ग एवं अनन्य अधिकार

नागरिकता (भाग 2, अनु. 5–11): राज्य की पूर्ण सदस्यता। भारत में जन्मजात व प्राकृतिकीकृत (Naturalised) दोनों नागरिक राष्ट्रपति पद हेतु पात्र हैं (USA में केवल जन्मजात नागरिक पात्र)।

विदेशी वर्ग / अधिकार आयाम	संवैधानिक प्रावधान	विधिक स्थिति एवं संरक्षण का स्वरूप
मित्र विदेशी (Friendly Aliens)	अधिकांश नागरिक अधिकार उपलब्ध	भारत से मित्रवत संबंधों वाले देशों के नागरिक; मूल अधिकार आंशिक उपलब्ध
शत्रु विदेशी (Enemy Aliens)	युद्धरत देशों के नागरिक	न्यूनतम अधिकार; अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण) प्राप्त नहीं
केवल नागरिकों को मूल अधिकार	अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30	धर्म-जाति भेदभाव निषेध, अवसर की समता, 6 स्वतंत्रताएं, अल्पसंख्यक संरक्षण
राजनीतिक व संवैधानिक पद	अनुच्छेद 326, 84, 173, 58, 66	मतदान अधिकार, सांसद/विधायक पात्रता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश पद

7. एकल नागरिकता (कनाडा मॉडल) एवं अपवाद

विषय / आयाम	भारत (एकल नागरिकता)	संयुक्त राज्य अमेरिका (दोहरी नागरिकता)
नागरिकता का स्तर	केवल एक राष्ट्रीय नागरिकता (कनाडा मॉडल)	संघ व राज्य दोनों की पृथक-पृथक दोहरी नागरिकता (USA + State)
अधिकारों में समानता	पूरे देश में समान अधिकार; बंधुत्व व एकता का आधार	राज्य अपने नागरिकों के पक्ष में भेदभाव कर सकता है (मतदान/शुल्क)
संवैधानिक अपवाद	निवास शर्त (अनु. 16, 371-D), जनजातीय क्षेत्र (अनु. 19)	दोहरी नागरिकता ऑस्ट्रेलिया व स्विट्जरलैंड में भी प्रचलित

8. संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 5 से 11 (26 जनवरी 1950 को स्थिति)

अनुच्छेद	विषय-वस्तु	नागरिकता निर्धारण की प्रमुख शर्तें एवं आधार
अनुच्छेद 5	अधिवास द्वारा नागरिकता	भारत में मूल निवास + भारत में जन्म / माता-पिता का जन्म / 5 वर्ष सामान्य निवास
अनुच्छेद 6	पाकिस्तान से आए व्यक्ति	19 जुलाई 1948 पूर्व आगमन (स्वतः नागरिक); बाद में आए तो 6 माह निवास + पंजीकरण
अनुच्छेद 7	पाकिस्तान जाकर लौटे व्यक्ति	1 मार्च 1947 बाद पाकिस्तान गए किंतु पुनर्वास परमिट लेकर लौटे (6 माह निवास + पंजीकरण)
अनुच्छेद 8	विदेश में भारतीय मूल के व्यक्ति	अविभाजित भारत में जन्म + भारतीय दूतावास में राजनयिक पंजीकरण
अनुच्छेद 9	विदेशी नागरिकता पर समाप्ति	स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त (दोहरी नागरिकता निषेध)
अनुच्छेद 10	अधिकारों की निरंतरता	प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की निरंतरता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन
अनुच्छेद 11	संसद की विधि निर्माण शक्ति	नागरिकता के अर्जन, समाप्ति व अन्य सभी उपबंधों हेतु संसद को कानून बनाने की संप्रभु शक्ति

9. नागरिकता अधिनियम 1955 — अर्जन के 7 मार्ग

अर्जन का मार्ग	समयावधि / श्रेणी	वैधानिक शर्तें एवं निर्धारित मानदंड
जन्म से (By Birth)	1950–1987	भारत में जन्म ही पर्याप्त (अपवाद: विदेशी राजनयिक/शत्रु के बच्चे)
जन्म से	1987–2004	माता या पिता में से कोई एक जन्म के समय भारतीय नागरिक हो
जन्म से	2004 के बाद	दोनों नागरिक हों, या एक नागरिक व दूसरा अवैध प्रवासी (Illegal Migrant) न हो
वंशक्रम (Descent)	1950–1992	पिता नागरिक; 1992 बाद: माता/पिता में से कोई एक; 2004 बाद: 1 वर्ष में दूतावास पंजीकरण
पंजीकरण (Registration)	भारतीय मूल / वैवाहिक	भारतीय मूल (7 वर्ष निवास), भारतीय से विवाहित (7 वर्ष), (OCI) धारक (5 वर्ष (OCI) + 12 माह निवास); निष्ठा की शपथ
प्राकृतिकीकरण	14 में 11 वर्ष निवास	14 में 11 वर्ष निवास/सेवा, 8वीं अनुसूची भाषा ज्ञान, अच्छा चरित्र (कला-विज्ञान-सेवा में छूट संभव)
राज्यक्षेत्र समावेश	विदेशी क्षेत्र विलय	विदेशी क्षेत्र विलय पर केंद्र द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति नागरिक (जैसे पुडुचेरी आदेश 1962)
असम समझौता (1985)	विशेष उपबंध	1966 पूर्व आए (नागरिक); 1966–71 बीच आए (10 वर्ष बाद मताधिकार); 25 मार्च 1971 बाद (अवैध)

सीएए 2019 आयाम	अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं शर्तें (10 जनवरी 2020 से लागू)
6 लक्षित समुदाय	हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई (मुस्लिम समुदाय सम्मिलित नहीं)
3 पड़ोसी देश	पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान (धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर)
कटऑफ तिथि व प्रभाव	31 दिसम्बर 2014 तक प्रवेश; प्राकृतिकीकरण अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई
संवैधानिक अपवाद	6ठी अनुसूची के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र व इनर लाइन परमिट (ILP) क्षेत्र बाहर

10. नागरिकता की क्षति एवं प्रवासी (OCI) कार्डधारक व्यवस्था

समाप्ति का प्रकार	वैधानिक प्रक्रिया एवं विधिक आधार (नागरिकता अधिनियम 1955)
स्वेच्छिक त्याग (Renunciation)	वयस्क नागरिक द्वारा घोषणा-पत्र (नाबालिग बच्चे भी नागरिकता खोते हैं; 18 वर्ष आयु पर 1 वर्ष में पुनः ग्रहण)
पर्यवसान (Termination)	स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त (युद्धकाल में लागू नहीं)
वंचना (Deprivation)	केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य समाप्ति: (1) फर्जीवाड़ा, (2) संविधान से द्रोह, (3) शत्रु देश से व्यापार, (4) 5 वर्ष में 2 वर्ष कैद, (5) 7 वर्ष निरंतर विदेश प्रवास

तुलनात्मक आधार	अनिवासी भारतीय (NRI)	प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI Cardholder)
विधिक स्थिति	वास्तविक भारतीय नागरिक (भारतीय पासपोर्ट धारक)	विदेशी नागरिक (भारतीय मूल के); दोहरी नागरिकता नहीं
भारत आगमन / वीजा	भारतीय पासपोर्ट से निर्बाध प्रवेश	आजीवन बहु-प्रवेश वीजा (Multiple Entry Life-long Visa)
प्राप्त अधिकार	समस्त नागरिक, राजनीतिक व मतदान अधिकार	कृषि भूमि छोड़कर संपत्ति क्रय, व्यवसाय छूट; (FRRO) पंजीकरण मुक्त
वर्जित अधिकार	कोई प्रतिबंध नहीं	मतदान अधिकार नहीं, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, संसद-विधानसभा सदस्यता वर्जित

एल.एम. सिंघवी समिति (2000–02) की सिफारिश पर (OCI) व्यवस्था शुरू; 2015 संशोधन द्वारा (PIO) व (OCI) का विलय कर एकल '(OCI Cardholder)' योजना बनाई गई।